संख्या- 396/2024**/**801/41-1-2024-**सी0एन0-1741264**

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव**,**
अनु सचिव**,**
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक**,**
पर्यटन**,** उ0प्र0**,** लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 **लखनऊ:: दिनांक**: 15 **मार्च**, **2024**

विषय:-जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्य हेतु की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-9307/6-1-1(1638)/शौर्य संग्रहालय/ 2022-23**,** दिनांक 28.02.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें**,** जिसके माध्यम से जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्य की संशोधित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रायोजना हेतु शासनादेश संख्या-618/2023/आई/389193/001-41-1002-001-128-2023-291-बजट-2023,दिनांक 15.09.2023 द्वारा उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0 को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रू0 2295.22 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 494.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है ।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय के निर्माण कार्य की पी0एफ0ए0डी0 (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न) द्वारा आंकलित की गयी धनराशि रू0 2366.92 लाख (जी0एस0टी0 सहित) की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) पर्यटन अनुभाग के शासनादेश संख्या-618/2023/आई/389193/001-41-1002-001-128-2023-291-बजट-2023,दिनांक 15.09.2023 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा ।

(2) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-3227/दस-2023-231/ 2023**,** दिनांक-17 मार्च**,** 2023 एवं यथा संशोधित कार्यालय-ज्ञाप संख्या-10/ 2023/बी-1-302/दस-2023-231/2023दिनांक 19.09.2023 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रायोजना में निहित विशिष्ट प्रकार की डेकोरेटिव लाइट फिटिंग्स एवं फिक्चर्स एवं सोलर फोटो वोलेटिक जनरेशन सिस्टम, ट्रांसफार्मर, डी0जी0 सेट आदि के कार्यों की लागत बजटरी आफर/कोटेशन/बाजार दरों के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसके क्रियान्वयन से पूर्व

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यों हेतु निर्माताओं से प्रतिस्थर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करें । चूंकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं एवं इनके शिड्यूल आफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते हैं तथा इनके मेक, माडल एवं स्पेसीफिकेशन के अन्तर से लागत में अन्तर आना स्वाभाविक है । अत: पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत नियमों के आधार पर किया जायेगा ।

(4) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओं/विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) प्रायोजना प्रतिवेदनमें यह स्पष्ट नहीं है कि प्रायोजना के पूर्ण होने के बाद इसका संचालन एवं रखरखाव किसके द्वारा किया जायेगा । अत: निर्माण के बाद नौसेना संग्रहालय के संचालन एवं रखरखावकी स्थिति स्पष्ट हो जाने के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये ।

(7) आगणन का परीक्षण आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं तदनुसार प्रस्तावित प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य को सम्मिलित करना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करना इत्यादि सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

(8) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व पर्यटन निदेशालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में अच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(9) प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की देयता वास्तविकता के अनुसार होगी तथा पर्यटन निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जाय कि प्रायोजनान्तर्गत विभिन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मिलित न हो।

(10) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था की होगी।

(11) सेन्टेज चार्जेज (प्रतिशत प्रभार), निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित वित्तीय प्रबन्धन के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 एवं शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023- 17(4)/75, दिनांक 19 मई, 2023 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(12) प्रायोजना का विस्तृत आगणन (डी0पी0आर) में दरें उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप सं0-272कैम्प/मु0अभि0 (भवन)/2023, दिनांक 10 अक्टूबर, 2023 एवं कार्यालय ज्ञाप ज्ञाप सं0-294कैम्प/मु0अभि0 (भवन)/2023, दिनांक 26 अक्टूबर, 2023 के अनुसार एवं वर्तमान बाजार भाव की दरों के

http://shasanadesh.up.gov.in

विश्लेषण के अनुसार ली गयी है। पर्यटन निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(13) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी । परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/ उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी ।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-7-668-X-2023-24, दिनांक 15 मार्च,2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नंलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथमद्वितीय/, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार द्वितीय/प्रथम (परीक्षा-लेखा), उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. जिलाधिकारी, लखनऊ ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशनल लि0।
7. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8. उप निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-4, 5, 6 व 8 को आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. उप निदेशक,पर्यटन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ ।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-7
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।